महाराष्ट्र शासन
# महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग
मुख्य कार्यालय : ५, ७, ८ वा मजला, कुपरेज टेलिफोन निगम इमारत, महर्षि कर्वे मार्ग, कुपरेज, मुंबई - ४०००२१ २२७९५९००
फोर्ट कार्यालय : बँक ऑफ इंडिया इमारत, ३ रा मजला, फोर्ट, मुंबई-४००००१ २२१०२२२२
Email ID : contact-secretary@mpsc.gov.in Website : https://mpsc.gov.in , https://mpsconline.gov.in

## राज्य सेवा पूर्व परीक्षा - २०२१

**क्रमांक : सीएमए-०४२१/सीआर-०१/२०२१/बारा** **जाहिरात क्रमांक :१०६/२०२१**

महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागांतर्गत विभिन्न संवर्गातील एकूण **२९०** पदांवरील भरतीकरीता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत **राज्य सेवा पूर्व परीक्षा-२०२१, रविवार, दिनांक ०२ जानेवारी, २०२२ रोजी महाराष्ट्रातील ३७ जिल्हा केंद्रांवर घेण्यात येईल** :-

२. प्रस्तुत परीक्षेमधून भरावयाच्या विविध संवर्गातील पदांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे :-

| प्रवर्ग | अ.जा. | अ.ज. | वि.जा. (अ) | भ.ज. (ब) | भ.ज. (क) | भ.ज. (ड) | इ.मा.व. | वि.मा.प्र. | आ.दु.घ. | एकूण आरक्षित पदे | अराखीव पदे | एकूण पदे |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **(१) उप जिल्हाधिकारी, गट - अ (एकूण १२ पदे)** | | | | | | | | | | | | |
| पदसंख्या | -- | १ | -- | -- | २ | -- | ९ | -- | -- | १२ | -- | १२ |
| रिक्त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे :- | | | | | | | | | | | | |
| (१) सर्वसाधारण | -- | १ | -- | -- | १ | -- | ५ | -- | -- | ७ | -- | ७ |
| (२) महिला | -- | -- | -- | -- | १ | -- | ३ | -- | -- | ४ | -- | ४ |
| (३) खेळाडू | -- | -- | -- | -- | -- | -- | १ | -- | -- | १ | -- | १ |
| (४) दिव्यांग | -- | | | | | | | | | | | |
| (५) अनाथ | -- | | | | | | | | | | | |
| **(२) पोलीस उप अधिक्षक/सहायक पोलीस आयुक्त(नि:शस्त्र), गट- अ (एकूण १६ पदे)** | | | | | | | | | | | | |
| पदसंख्या | २ | २ | -- | १ | -- | -- | ३ | -- | २ | १० | ६ | १६ |
| रिक्त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे :- | | | | | | | | | | | | |
| (१) सर्वसाधारण | १ | १ | -- | १ | -- | -- | २ | -- | १ | ६ | ४ | १० |
| (२) महिला | १ | १ | -- | -- | -- | -- | १ | -- | १ | ४ | २ | ६ |
| (३) खेळाडू | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| (४) दिव्यांग | -- | | | | | | | | | | | |
| (५) अनाथ | -- | | | | | | | | | | | |
| **(३) सहायक राज्य कर आयुक्त, गट- अ(एकूण १६ पदे)** | | | | | | | | | | | | |
| पदसंख्या | २ | १ | १ | -- | -- | -- | ५ | -- | २ | ११ | ५ | १६ |
| रिक्त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे :- | | | | | | | | | | | | |
| (१) सर्वसाधारण | १ | १ | १ | -- | -- | -- | ४ | -- | २ | ९ | ४ | १३ |
| (२) महिला | १ | -- | -- | -- | -- | -- | १ | -- | -- | २ | १ | ३ |
| (३) खेळाडू | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| (४) दिव्यांग | एकूण – १ पद (बहिरेपणा व अंधत्वासह एकापेक्षा जास्त प्रकारचे दिव्यांगत्व) | | | | | | | | | | | |
| (५) अनाथ | -- | | | | | | | | | | | |
| **(४) गट विकास अधिकारी व तत्सम पदे, गट- अ(एकूण १५ पदे)** | | | | | | | | | | | | |
| पदसंख्या | १ | १ | -- | १ | -- | -- | ३ | -- | १ | ७ | ८ | १५ |
| रिक्त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे :- | | | | | | | | | | | | |
| (१) सर्वसाधारण | १ | १ | -- | १ | -- | -- | २ | -- | १ | ६ | ६ | १२ |
| (२) महिला | -- | -- | -- | -- | -- | -- | १ | -- | -- | १ | २ | ३ |
| (३) खेळाडू | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| (४) दिव्यांग | एकूण – १ पद (अस्थिव्यंग) | | | | | | | | | | | |
| (५) अनाथ | -- | | | | | | | | | | | |
| **(५) सहायक संचालक, महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा, गट- अ(एकूण १५ पदे)** | | | | | | | | | | | | |
| पदसंख्या | -- | १ | १ | १ | १ | -- | ३ | -- | २ | ९ | ६ | १५ |
| रिक्त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे :- | | | | | | | | | | | | |
| (१) सर्वसाधारण | -- | १ | १ | १ | १ | -- | २ | -- | १ | ७ | ३ | १० |
| (२) महिला | -- | -- | -- | -- | -- | -- | १ | -- | १ | २ | २ | ४ |
| (३) खेळाडू | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | १ | १ |
| (४) दिव्यांग | एकूण – १ पद (कर्णबधिर) | | | | | | | | | | | |
| (५) अनाथ | -- | | | | | | | | | | | |

| प्रवर्ग | अ.जा. | अ.ज. | वि.जा. (अ) | भ.ज. (ब) | भ.ज. (क) | भ.ज. (ड) | इ.मा.व. | वि.मा.प्र. | आ.दु.घ. | एकूण आरक्षित पदे | अराखीव पदे | एकूण पदे |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **(६) उद्योग उप संचालक (तांत्रिक), गट - अ (एकूण ०४ पदे)** | | | | | | | | | | | | |
| पदसंख्या | -- | -- | -- | -- | -- | -- | १ | -- | -- | १ | ३ | ४ |
| रिक्त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे :- | | | | | | | | | | | | |
| (१) सर्वसाधारण | -- | -- | -- | -- | -- | -- | १ | -- | -- | १ | ३ | ४ |
| (२) महिला | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| (३) खेळाडू | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| (४) दिव्यांग | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| (५) अनाथ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **(७) सहायक कामगार आयुक्त, गट - अ (एकूण २२ पदे)** | | | | | | | | | | | | |
| पदसंख्या | ३ | २ | १ | १ | १ | १ | ४ | १ | २ | १६ | ६ | २२ |
| रिक्त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे :- | | | | | | | | | | | | |
| (१) सर्वसाधारण | २ | १ | १ | १ | १ | १ | २ | १ | १ | ११ | ३ | १४ |
| (२) महिला | १ | १ | -- | -- | -- | -- | २ | -- | १ | ०५ | २ | ७ |
| (३) खेळाडू | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | १ | १ |
| (४) दिव्यांग | एकूण - १ पद (अल्पदृष्टी) | | | | | | | | | | | |
| (५) अनाथ | -- | | | | | | | | | | | |
| **(८) उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम पदे, महाराष्ट्र शिक्षण सेवा,गट-ब (प्रशासन शाखा) (एकूण २५ पदे)** | | | | | | | | | | | | |
| पदसंख्या | ३ | -- | -- | १ | -- | १ | ३ | -- | ३ | ११ | १४ | २५ |
| रिक्त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे :- | | | | | | | | | | | | |
| (१) सर्वसाधारण | २ | -- | -- | १ | -- | १ | २ | -- | २ | ८ | ९ | १७ |
| (२) महिला | १ | -- | -- | -- | -- | -- | १ | -- | १ | ३ | ४ | ७ |
| (३) खेळाडू | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | १ | १ |
| (४) दिव्यांग | एकूण – १ पद (कर्णबधिर) | | | | | | | | | | | |
| (५) अनाथ | -- | | | | | | | | | | | |
| **(९) कक्ष अधिकारी, गट-ब (एकूण ३९ पदे)** | | | | | | | | | | | | |
| पदसंख्या | ५ | २ | १ | १ | ३ | १ | ७ | -- | ३ | २३ | १६ | ३९ |
| रिक्त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे :- | | | | | | | | | | | | |
| (१) सर्वसाधारण | ३ | १ | १ | १ | २ | १ | ४ | -- | २ | १५ | १० | २५ |
| (२) महिला | २ | १ | -- | -- | १ | -- | २ | -- | १ | ७ | ५ | १२ |
| (३) खेळाडू | -- | -- | -- | -- | -- | -- | १ | -- | -- | १ | १ | २ |
| (४) दिव्यांग | एकूण – २ पदे (१) स्वमग्नता/मंदबुद्धि किंवा आकलन क्षमतेची कमतरता/विशिष्ट शिक्षण अक्षमता/मानसिक आजार (२) बहिरेपणा व अंधत्वासह एका पेक्षा जास्त दिव्यांगत्व | | | | | | | | | | | |
| (५) अनाथ | -- | | | | | | | | | | | |
| **(१०) सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, गट-ब (एकूण ४ पदे)** | | | | | | | | | | | | |
| पदसंख्या | १ | -- | -- | -- | -- | -- | १ | -- | -- | २ | २ | ४ |
| रिक्त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे :- | | | | | | | | | | | | |
| (१) सर्वसाधारण | १ | -- | -- | -- | -- | -- | १ | -- | -- | २ | २ | ४ |
| (२) महिला | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| (३) खेळाडू | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| (४) दिव्यांग | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| (५) अनाथ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **(११) सहायक गट विकास अधिकारी व तत्सम पदे, गट-ब (एकूण १७ पदे)** | | | | | | | | | | | | |
| पदसंख्या | २ | २ | -- | -- | -- | -- | ३ | -- | २ | ९ | ८ | १७ |
| रिक्त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे :- | | | | | | | | | | | | |
| (१) सर्वसाधारण | १ | १ | -- | -- | -- | -- | २ | -- | १ | ५ | ६ | ११ |
| (२) महिला | १ | १ | -- | -- | -- | -- | १ | -- | १ | ४ | २ | ६ |
| (३) खेळाडू | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| (४) दिव्यांग | एकूण – १ पद(मानसिक आजार) | | | | | | | | | | | |
| (५) अनाथ | -- | | | | | | | | | | | |

| प्रवर्ग | अ.जा. | अ.ज. | वि.जा. (अ) | भ.ज. (ब) | भ.ज. (क) | भ.ज. (ड) | इ.मा.व. | वि.मा.प्र. | आ.दु.घ. | एकूण आरक्षित पदे | अराखीव पदे | एकूण पदे |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **(१२) सहायक निबंधक सहकारी संस्था, गट-ब, एकूण (१८ पदे)** | | | | | | | | | | | | |
| पदसंख्या | ३ | २ | १ | -- | १ | -- | २ | -- | २ | ११ | ७ | १८ |
| रिक्त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे :- | | | | | | | | | | | | |
| (१) सर्वसाधारण | २ | १ | १ | -- | १ | -- | २ | -- | १ | ८ | ४ | १२ |
| (२) महिला | १ | १ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | १ | ३ | २ | ५ |
| (३) खेळाडू | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | १ | १ |
| (४) दिव्यांग | एकूण — १ पद (स्नायुंचा विकार) | | | | | | | | | | | |
| (५) अनाथ | -- | | | | | | | | | | | |
| **(१३) उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, गट-ब एकूण ( १५पदे)** | | | | | | | | | | | | |
| पदसंख्या | २ | -- | -- | १ | -- | १ | ३ | -- | १ | ८ | ७ | १५ |
| रिक्त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे :- | | | | | | | | | | | | |
| (१) सर्वसाधारण | २ | -- | -- | १ | -- | १ | २ | -- | १ | ७ | ५ | १२ |
| (२) महिला | -- | -- | -- | -- | -- | -- | १ | -- | -- | १ | २ | ३ |
| (३) खेळाडू | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| (४) दिव्यांग | एकूण — १ पद (१) स्वमग्नता/मंदबुद्धि किंवा आकलन क्षमतेची कमतरता/विशिष्ट शिक्षण अक्षमता/मानसिक आजार (२) बहिरेपणा व अंधत्वासह एका पेक्षा जास्त दिव्यांगत्व | | | | | | | | | | | |
| (५) अनाथ | -- | | | | | | | | | | | |
| **(१४) उप अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, गट-ब, एकूण पदे (१ पद)** | | | | | | | | | | | | |
| पदसंख्या | १ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | १ | -- | १ |
| रिक्त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे :- | | | | | | | | | | | | |
| (१) सर्वसाधारण | १ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | १ | -- | १ |
| (२) महिला | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| (३) खेळाडू | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| (४) दिव्यांग | -- | | | | | | | | | | | |
| (५) अनाथ | -- | | | | | | | | | | | |
| **(१५) सहायक आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, गट-ब, एकूण (१ पद)** | | | | | | | | | | | | |
| पदसंख्या | -- | -- | १ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | १ | -- | १ |
| रिक्त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे :- | | | | | | | | | | | | |
| (१) सर्वसाधारण | -- | --- | १ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | १ | -- | १ |
| (२) महिला | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| (३) खेळाडू | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| (४) दिव्यांग | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| (५) अनाथ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **(१६) कौशल्य विकास,रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन अधिकारी, गट-ब (एकूण १६ पदे)** | | | | | | | | | | | | |
| पदसंख्या | -- | १ | -- | -- | १ | १ | ५ | -- | २ | १० | ६ | १६ |
| रिक्त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे :- | | | | | | | | | | | | |
| (१) सर्वसाधारण | -- | -- | -- | -- | १ | १ | ४ | -- | १ | ७ | ४ | ११ |
| (२) महिला | -- | १ | -- | -- | -- | -- | १ | -- | १ | ३ | १ | ४ |
| (३) खेळाडू | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | १ | १ |
| (४) दिव्यांग | एकूण — १ पद (अस्थिव्यंग) | | | | | | | | | | | |
| (५) अनाथ | -- | | | | | | | | | | | |
| **(१७) सरकारी कामगार अधिकारी, गट — ब (एकूण ५४ पदे )** | | | | | | | | | | | | |
| पदसंख्या | ९ | ४ | -- | २ | २ | १ | १२ | -- | ५ | ३५ | १९ | ५४ |
| रिक्त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे :- | | | | | | | | | | | | |
| (१) सर्वसाधारण | ५ | ३ | -- | १ | १ | १ | ८ | -- | ३ | २२ | १३ | ३५ |
| (२) महिला | ३ | १ | -- | १ | १ | -- | ३ | -- | २ | ११ | ५ | १६ |
| (३) खेळाडू | १ | -- | -- | -- | -- | -- | १ | -- | -- | २ | १ | ३ |
| (४) दिव्यांग | एकूण — ०२ पदे (१) विशिष्ट शिक्षण अक्षमता(SLD)/मानसिक आजार(MI)/बहिरेपणा व अंधत्वासह एकापेक्षा जास्त प्रकारचे दिव्यांगत्व असणारे (MD) , (२) अंध(B)/अल्पदृष्टी(LV) | | | | | | | | | | | |
| (५) अनाथ | एकूण ०१ पद | | | | | | | | | | | |

**३.** पूर्व परीक्षेच्या निकालाधारे मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांकरीता मुख्य परीक्षा शनिवार, रविवार व सोमवार दिनांक **०७, ८ व ९ मे, २०२२** रोजी किंवा त्यानंतर आयोजित होण्याची शक्यता आहे.

**४.** प्रस्तुत जाहिरातीमध्ये विहित केलेल्या अटी व शर्तींची पुर्तता करणा-या उमेदवारांकडून आयोगाच्या ऑनलाईन अर्ज प्रणालीद्वारे अर्ज मागविण्यात येत आहेत.

**५. पदसंख्या व आरक्षणासंदर्भात सर्वसाधारण तरतुदी :-**

**५.१** वर नमूद संवर्गातील पदसंख्या व आरक्षणामध्ये शासनाच्या संबंधित विभागांच्या सूचनेनुसार बदल होण्याची शक्यता आहे.

**५.२** विद्यमान परीक्षा योजनेनुसार राज्यसेवा परीक्षेमधून शासनाच्या विविध मंत्रालयीन विभागाच्या अधिपत्याखालील एकूण ३० संवर्गाची पदे सर्वसाधारणपणे भरण्यात येतात. त्यापैकी जाहिरातीच्या दिनांकापर्यंत प्राप्त झालेल्या विविध **१६** संवर्गातील पदे प्रस्तुत जाहिरातीमध्ये नमूद केली आहेत. जाहिरातीमध्ये नमूद संवर्गातील पदांव्यतिरिक्त राज्य सेवा परीक्षेमधून भरण्यात येणा-या उर्वरित संवर्गातील पदांचा तसेच विद्यमान संवर्गाव्यतिरिक्त काही नवीन संवर्गातील पदांचा नंतरच्या टप्प्यावर समावेश होण्याची शक्यता आहे. त्यानुसार पूर्व परीक्षेचा निकाल अंतिम करेपर्यंतच्या कालावधीपर्यंत संबंधित विभागाकडून सुधारित/अतिरिक्त अथवा नवीन संवर्गाच्या मागणीपत्राद्वारे प्राप्त होणारी सर्व पदे पूर्व परीक्षेच्या निकालासाठी विचारात घेण्यात येतील व अशा सुधारित/अतिरिक्त मागणीपत्रांचा तपशील मुख्य परीक्षेच्या अधिसूचनेद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात येईल. त्याच्या आधारे प्रस्तुत परीक्षेमधून भरावयाच्या पदाकरीता भरती प्रक्रिया राबविण्यात येईल.

**५.३** प्रस्तुत जाहिरातीमध्ये नमूद संवर्गामध्ये काही मागास प्रवर्ग व समांतर आरक्षणाची पदे (महिला, दिव्यांग व्यक्ती, खेळाडू, अनाथ) उपलब्ध नाहीत. तथापि, जाहिरात प्रसिध्द झाल्यानंतर तसेच पूर्व परीक्षेचा निकाल अंतिम करेपर्यंत नव्याने प्राप्त होणा-या मागणीपत्रांमध्ये जाहिरातीत नमूद नसलेल्या मागास प्रवर्ग तसेच समांतर आरक्षणाकरीता पदे उपलब्ध होण्याची आणि विद्यमान पदसंख्येमध्ये बदल/वाढ होण्याची शक्यता आहे. सदर बदललेली पदसंख्या/अतिरिक्त मागणीद्वारे प्राप्त संवर्गातील पदे पूर्व परीक्षेचा निकाल अंतिम करताना विचारात घेतली जाईल. यास्तव पूर्व परीक्षेच्या जाहिरातीमध्ये पद आरक्षित नसल्यामुळे अथवा पदसंख्या कमी असल्यामुळे पूर्व परीक्षेसाठी अर्ज सादर केला नसल्याची व त्यामुळे निवडीची संधी वाया गेल्याबाबतची तक्रार नंतर कोणत्याही टप्प्यावर विचारात घेतली जाणार नाही.

**५.४** महिला, खेळाडू तसेच अनाथांसाठीचे समांतर आरक्षण शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार राहील.

**५.५** महिलांसाठी आरक्षित पदांकरिता दावा करणा-या उमेदवारांनी महिला आरक्षणाचा लाभ घ्यावयाचा असल्यास त्यांनी अर्जामध्ये न चुकता महाराष्ट्राचे अधिवासी (Domiciled) असल्याबाबत तसेच नॉन क्रीमीलेअर मध्ये मोडत असल्याबाबत (अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती वगळून) स्पष्टपणे दावा करणे आवश्यक आहे.

**५.६** विमुक्त जाती (अ), भटक्या जमाती. (ब), भटक्या जमाती (क) व भटक्या जमाती (ड) प्रवर्गासाठी आरक्षित असलेली पदे आंतरपरिवर्तनीय असून आरक्षित पदासाठी संबंधित प्रवर्गातील योग्य व पात्र उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास अद्ययावत शासन धोरणाप्रमाणे उपलब्ध प्रवर्गातील उमेदवाराचा विचार गुणवत्तेच्या आधारावर करण्यात येईल.

**५.७** समांतर आरक्षणाबाबत शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एसआरव्ही-१०१२/प्र.क्र.१६/१२/१६-अ, दिनांक १३ ऑगस्ट, २०१४ तसेच शासन शुध्दीपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक संकीर्ण-१११८/प्र.क्र.३९/१६-अ, दिनांक १९ डिसेंबर, २०१८ आणि तदनंतर शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार कार्यवाही करण्यात येईल.

**५.८** आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकांतील (ईडब्लूएस) उमेदवारांकरीता शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक :राआधो-४०१९/प्र.क्र.३१/१६-अ, दिनांक १२ फेब्रुवारी, २०१९ व दिनांक ३१ मे, २०२१ अन्वये विहित करण्यात आलेले प्रमाणपत्र, कागदपत्र पडताळणीच्या वेळी सादर करणे आवश्यक राहील.

**५.९** अद्ययावत नॉन क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र/आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील असल्याबाबतचा पुरावा म्हणून सक्षम प्राधिकाऱ्याने वितरित केलेले व अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकास वैध असणारे (वित्तीय वर्ष २०२१-२२ ) प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.

**५.१०** सेवा प्रवेशाच्या प्रयोजनासाठी शासनाने मागास म्हणून मान्यता दिलेल्या समाजाच्या वयोमर्यादेमध्ये सवलत घेतलेल्या उमेदवारांचा अराखीव (खुला) पदावरील निवडीकरीता विचार करणेबाबत शासनाच्या धोरणानुसार कार्यवाही करण्यात येईल. याबाबतचा तपशील वेळोवेळी आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येईल.

**५.११** अराखीव (खुला) उमेदवारांकरीता विहित केलेल्या वयोमर्यादा तसेच इतर पात्रता विषयक निकषासंदर्भातील अटींची पुर्तता करणा-या सर्व उमेदवारांचा (मागासवर्गीय उमेदवारांसह) अराखीव (खुला) सर्वसाधारण पदावरील शिफारशीकरीता विचार होत असल्याने, सर्व आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांनी त्यांच्या प्रवर्गासाठी पद आरक्षित/उपलब्ध नसले तरी, अर्जामध्ये त्यांच्या मूळ प्रवर्गासंदर्भातील माहिती अचूकपणे नमूद करणे बंधनकारक आहे.

**५.१२** कोणत्याही प्रकारच्या आरक्षणाचा लाभ हा केवळ महाराष्ट्राचे सर्वसाधारण रहिवासी असणाऱ्या उमेदवारांना अनुज्ञेय आहे. सर्वसाधारण रहिवासी या संज्ञेला भारतीय लोकप्रतिनिधत्व कायदा १९५० च्या कलम २० अनुसार जो अर्थ आहे तोच अर्थ असेल.

**५.१३** सामाजिक व समांतर आरक्षणासंदर्भात विविध न्यायालयामध्ये दाखल न्यायप्रविष्ट प्रकरणी अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून पदभरतीची कार्यवाही करण्यात येईल.

**५.१४ खेळाडू आरक्षण :-**

**५.१४.१** शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक: राक्रीधो-२००२/प्र.क्र.६८/क्रीयुसे-२, दिनांक १ जुलै, २०१६, तसेच शासन शुध्दीपत्रक, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक:राक्रीधो-२००२/प्र.क्र.६८/क्रीयुसे-२, दिनांक १८ ऑगस्ट, २०१६, शुध्दीपत्रक क्रमांक:राक्रीधो-२००२/प्र.क्र.६८/क्रीयुसे-२, दिनांक ११ मार्च, २०१९ व शासन शुद्धिपत्रक, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक : राक्रीधो-२००२/प्र.क्र.६८/क्रीयुसे-२, दिनांक २४ ऑक्टोबर, २०१९ आणि तदनंतर शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार प्राविण्य प्राप्त खेळाडू आरक्षणासंदर्भात तसेच वयोमर्यादेतील सवलतीसंदर्भात कार्यवाही करण्यात येईल.

**५.१४.२** प्राविण्य प्राप्त खेळाडू व्यक्तींसाठी असलेल्या आरक्षणाचा दावा करणा-या उमेदवारांच्या बाबतीत क्रीडा विषयक विहित अर्हता धारण करीत असल्याबाबत सक्षम प्राधिका-याने प्रमाणित केलेले पात्र खेळाचे प्राविण्य प्रमाणपत्र पूर्व परीक्षेस अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकाचे किंवा तत्पूर्वीचे असणे बंधनकारक आहे.

**५.१४.३** खेळाचे प्राविण्य प्रमाणपत्र योग्य दर्जाचे असल्याबाबत तसेच तो खेळाडू उमेदवार खेळाडूसाठी आरक्षित पदावरील निवडीकरीता पात्र ठरतो, याविषयीच्या पडताळणीकरीता त्यांचे प्राविण्य प्रमाणपत्र संबंधित विभागीय उपसंचालक कार्यालयाकडे पूर्व परीक्षेस अर्ज सादर करण्याच्या दिनांकापूर्वीच सादर केलेले असणे बंधनकारक आहे. अन्यथा प्राविण्य प्राप्त खेळाडूसाठी आरक्षणाकरीता पात्र समजण्यात येणार नाही.

**५.१४.४** कागदपत्रे पडताळणी/मुलाखतीच्यावेळी खेळाडू उमेदवारांनी विहित अर्हता धारण करीत असल्याबाबत सक्षम प्राधिका-याने प्रमाणित केलेले प्राविण्य प्रमाणपत्र तसेच त्यांचे प्राविण्य प्रमाणपत्र योग्य असल्याबाबत तसेच खेळाडू कोणत्या संवर्गातील खेळाडूसाठी आरक्षित पदावरील निवडीकरीता पात्र ठरतो,

याविषयीचा सक्षम प्राधिका-याने प्रदान केलेले प्राविण्य प्रमाणपत्र पडताळणीबाबतचा अहवाल सादर केला तरच उमेदवारांचा संबंधित संवर्गातील खेळाडूसाठी आरक्षित पदावर शिफारशी/नियुक्तीकरीता विचार करण्यात येईल.

**५.१४.५** एकापेक्षा जास्त खेळांची प्राविण्य प्रमाणपत्रे असणा-या खेळाडू उमेदवाराने एकाच वेळेस सर्व खेळांची प्राविण्य प्रमाणपत्रे प्रमाणित करण्याकरीता संबंधित उपसंचालक कार्यालयाकडे सादर करणे बंधनकारक आहे.

**५.१५ दिव्यांग आरक्षण :-**

**५.१५.१** दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ च्या आधारे शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक दिव्यांग २०१८/प्र.क्र.११४/१६ अ, दिनांक २९ मे, २०१९ तसेच यासंदर्भात शासनाकडून वेळोवेळी जारी करण्यात आलेल्या आदेशानुसार दिव्यांग व्यक्तींच्या आरक्षणासंदर्भात कार्यवाही करण्यात येईल.

**५.१५.२** प्रस्तुत परीक्षेमधून भरण्यात येणा-या संवर्ग/पदांच्या बाबतीत खालील पदांसमोर दर्शविलेल्या शारीरिक पात्रतेचे निकष धारण करणारे उमेदवार संबंधित पदावर नियुक्तीसाठी पात्र अथवा अपात्र असतील :-

| **अ.क्र.** | पदाचे नांव | **शासन आदेश** | **दिव्यांगत्वाचा प्रकार** |
|---|---|---|---|
| **१** | उपजिल्हाधिकारी, गट-अ | शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र. संकीर्ण- २०२०/प्र.क्र.७९/ई-१अ, दिनांक २९ जून, २०२१ | (1) B, LV<br>(2) D, HH,<br>(3) OA, OL, OAL, CP, LC, DW, AAV,<br>(4) ASD (M), ID, SLD, MI<br>(5) MD involving (1) to (4) above |
| **२** | पोलीस उप अधिक्षक/सहायक पोलीस आयुक्त (नि:शस्त्र), गट-अ | शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. रापोसे-२२१६/प्र.क्र.३८२/पोल-१(अ) , दिनांक ०५ जुलै, २०२१ | दिव्यांग आरक्षणाच्या सुनिश्चितीमधून वगळण्यात आले आहे. |
| **३** | सहायक राज्यकर आयुक्त, गट-अ | शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक विकवि-१०२१/प्र.क्र१३/वि. प्र.-४, दिनांक २५ फेब्रुवारी, २०२१ | (1) B, LV<br>(2)D, HH<br>(3)OA, OL, OAL, LC, Dw, AAV<br>(4) MD involving (1) to (3) above |
| **४** | गट विकास अधिकारी, गट अ | शासन निर्णय ग्राम विकास विभाग, क्रमांक मदविससे -१०२१/ प . क्र .४५/२०२१/ आस्थय -३, दिनांक ११ जून, २०२१ | a) B, LV<br>b) D, HH<br>c) OL, BL, OA, BA, OAL, BLOA, BLA, CP, LC, DW, AAV, MDy<br>d) MI<br>e) MD involving (1) to (4) above |
| **५** | सहायक संचालक, महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा, गट-अ | शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक सेवाप्र-२०१९/प्र.क्र.८१ /कोषा प्रशा-३, दिनांक ११ फेब्रुवारी, २०२१ . | (1) D, HH<br>(2) OA,BA, OL, OAL,BL, BLA,CP, LC, Dw, AAV<br>(3) ASD (M)<br>(4) MD Involving (1) to (3) above |
| **६** | उद्योग उप संचालक(तांत्रिक), गट-अ | शासन निर्णय, उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग क्र. इएसटी-३४१७/प्र.क्र.११९/उद्योग-३. दिनांक : २६ फेब्रुवारी, २०२१ | (1) B LV<br>(2) D, HH<br>(3) OA, OL, BL, OAL, CP, LC, Dw, AAV<br>(4) MI<br>(5) MD involving (1) to (4) above |
| **७** | सहायक कामगार आयुक्त, गट-अ | शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक. सांकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१९०/कामगार-८ , दिनांक ०६ जुलै, २०२१ | (1)LV<br>(2) HH<br>(3) OA, OL, BL.OAL, CP, LC,Dw, AAV, MDy (M)<br>(4) SLD, ASD (M), MI<br>(5) MD involving (1) to (4) |
| **८** | उपशिक्षणाधिकारी, महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-ब (प्रशासन शाखा) | शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, क्रमांक : ईएसटी-३९२०/प्र.क्र.१५६/प्रशा-२, दिनांक ०९ मार्च, २०२१ | (1) B, LV<br>(2) D, HH<br>(3) OA,BA, OL, BL, CP, LC, Dw, AAV<br>(4) SLD, MI<br>(5) MD Involving (1) to (4) above |
| **९** | कक्ष अधिकारी, गट-ब | शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : कअस१३१९/प्र.क्र.७४/१४-ब, दिनांक २६ फेब्रुवारी, २०२१ | (1) B, LV<br>(2) D, HH<br>(3) OA, BA, OL, BL, OAL, CP, Dw, AAV, MDy<br>(4) SLD, MI<br>(5) MD involving (1) to (4) above |
| **१०** | सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, गट-ब | शासन निर्णय,गृह विभाग क्रमांक एमवहीडी-०२२१/प्र.क्र.63/परि-4 दिनांक २६ फेब्रुवारी, २०२१ | B, LV, D, HH, OA, BA, OL, BL, OAL, CP, LC, Dw, AAV, MDy, ASD, SLD, MI, MD |
| **११** | सहायक गट विकास अधिकारी, गट ब | शासन निर्णय ग्राम विकास विभाग, क्रमांक मदविससे -१०२१/ प . क्र .४५/२०२१/ आस्थय -३, दिनांक ११ जून, २०२१ | (1) B,LV<br>(2) D, HH<br>(3) OL, BL, OA, BA, OAL, BLOA, BLA, CP, LC, DW, AAV, MDy<br>(4) MD involving (1) to (3) above |

| | | | |
|---|---|---|---|
| १२ | सहायक निबंधक सहकारी संस्था, गट-ब | शासन निर्णय, सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्रमांक:राजस-२०२१/प्र.क्र.४०/५ स, दिनांक १५ फेब्रुवारी, २०२१ | (1) B,LV<br>(2) D,HH<br>(3) OA,BA,OL,B L,OAL,BLOA, CP,LC,Dw,A AV,MDy<br>(4) MI<br>(5) MD involving (1) to (4) above |
| १३ | उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, गट-ब | शासन निर्णय, महसूल व वन नवभाग, क्र. आस्था-२०२०/प्र.क्र.१५८/ई-६. नि. २९ जुन, २०२१ | (1) LV<br>(2) HH<br>(3) OA, OL, LC, Dw, AAV<br>(4) ASD (M), SLD, MI<br>(5) MD Involving (4) to (4) above |
| १४ | उप अधीक्षक , राज्य उत्पादन शुल्क, गट-ब | शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक : एमआयएस-१०२०/प्र.क्र.११७/राउशु-१, दिनांक २९ जुलै, २०२१ | (1) LC<br>(2) SLD,MI<br>(3) MD involving into (1) & (2) |
| १५ | सहायक आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, गट-ब | शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक : एमआयएस-१०२०/प्र.क्र.११७/राउशु-१, दिनांक १८ फेब्रुवारी, २०२१ | (1) B, LV<br>(2) D, HH<br>(3) OA,BA, OL, BL, OAL, CP, LC, Dw, AAV, MDy<br>(4) SLD, MI<br>(5) MD involving (1) to (4) above |
| १६ | कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता-मार्गदर्शन अधिकारी, गट-ब | शासन निर्णय, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता क्रमांक: बैठक २०२१/प्र.क्र.३७/प्रशय-२ (रोजगयर) दिनांक 17 जून, २०२१ | B,LV,D,HH,OA,OL,BL,O AL,LC,DW, AAV, ASD (M),MD |
| १७ | सरकारी कामगार अधिकारी, गट-ब | शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक. सांकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१९०/कामगार-८ , दिनांक ०६ जुलै, २०२१ | (1) B, LV<br>(2) D, HH<br>(3) OA,BA, OL, BL, OAL,CP, LC, Dw, AAV, MDy<br>(4) SLD, MI<br>(5) MD Involving (1) to (4) above |

**५.१५.३** दिव्यांग व्यक्तींसाठी असलेली पदे भरावयाच्या एकूण पदसंख्येपैकी असतील.

**५.१५.४** दिव्यांग व्यक्तींची संबंधित संवर्ग/पदाकरीता पात्रता शासनानाकडून वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार राहील.

**५.१५.५**दिव्यांग व्यक्तींसाठी असलेल्या वयोमर्यादेचा अथवा इतर कोणत्याही प्रकारचा फायदा घेऊ इच्छिणा-या उमेदवारांनी शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक अप्रकि-२०१८/प्र.क्र.४६/आरोग्य-६, दिनांक १४ सप्टेंबर, २०१८ मधील आदेशानुसार केंद्र शासनाच्या www.swavlambancard.gov.in अथवा SADM या संगणकीय प्रणालीदवारे वितरित करण्यात आलेले नवीन नमुन्यातील दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र वेळी सादर करणे अनिवार्य आहे.

**५.१६ अनाथ आरक्षण :-**

**५.१६.१** अनाथ व्यक्तींचे आरक्षण शासन निर्णय, महिला व बालविकास विभाग, क्रमांक : अनाथ-२०१८/प्र.क्र.१८२/का-०३, दिनांक २३ ऑगस्ट, २०२१ तसेच यासंदर्भात शासनाकडून वेळोवेळी जारी करण्यात येणा-या आदेशानुसार राहील.

**५.१६.२** अनाथांसाठी आरक्षित पदावर गुणवत्तेनुसार निवड झालेल्या उमेदवारांचा समावेश उमेदवार ज्या सामाजिक प्रवर्गाचा आहे; त्या प्रवर्गातून करण्यात येईल.

**५.१६.३** पूर्व परीक्षेच्या अर्जाद्वारे अनाथ आरक्षणाचा दावा केलेल्या उमेदवारांनी त्यांचेकडे सद्यस्थितीत उपलब्ध असलेले प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य आहे. तसेच दिनांक २३ ऑगस्ट, २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे विहित करण्यात आलेल्या कार्यपद्धतीनुसार सुधारित नमुन्यातील अनाथ प्रमाणपत्र व महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र आयोगाकडून निश्चित करण्यात येणाऱ्या विहित कालावधीत सादर करणे आवश्यक राहील. अन्यथा अनाथ आरक्षणाचा दावा विचारात घेतला जाणार नाही.

**६. वेतनश्रेणी :-**

गट-अ व गट-ब - सुधारित वेतन मॅट्रीक्समधील वेतन स्तरानुसार.

**७. पात्रता :-**

**७.१** भारतीय नागरिकत्व

**७.२ वयोमर्यादा :-**

| वयोमर्यादा गणण्याचा दिनांक | वय | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | किमान अमागास / मागासवर्गीय | कमाल | | प्राविण्य प्राप्त खेळाडू | | माजी सैनिक, आणिबाणी व अल्पसेवा राजादिष्ट अधिकारी | | दिव्यांग उमेदवार |
| | | अमागास | मागासवर्गीय /अनाथ | अमागास | मागासवर्गीय | अमागास | मागासवर्गीय | |
| (१) उपजिल्हाधिकारी गट-अ - दिनांक ०१ एप्रिल, २०२२ | १९ | ३८ | ४३ | ४३ | ४३ | ४३ | ४३ | वयाच्या ४५ वर्षापर्यंत |
| (२) इतर संवर्ग/ पदे - दिनांक ०१ फेब्रुवारी, २०२२ | | | | | | | | |

**७.३** विहित वयोमर्यादा इतर कोणत्याही बाबतीत शिथिल केली जाणार नाही.

**७.४ शैक्षणिक अर्हता :-**

**७.४.१** उपलब्ध पदसंख्येतील उद्योग उपसंचालक (तांत्रिक), गट-अ , सहायक संचालक, महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा, गट –अ व सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, गट-ब या संवर्गातील पदे वगळून इतर पदांसाठी मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी किंवा महाराष्ट्र शासनाने मान्य केलेली समतुल्य अर्हता.

**७.४.२ सहायक संचालक, महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा, गट –अ पदासाठी खालीलप्रमाणे अर्हता आवश्यक :-**

(१) सांविधिक विदयापीठाची, किमान ५५ टक्क्यांसह वाणिज्य शाखेची स्नातक पदवी, किंवा

(२) इन्स्टिटयुट ऑफ चार्टर्ड अकांऊटस आफॅ इंडिया यांनी घेतलेली सनदी लेखापालाची अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण किंवा

(३) इन्स्टिटयुट ऑफ कॉस्ट ॲण्ड वर्क्स अकांऊटस यांनी आयोजित केलेली परिव्यय लेखाशास्त्राची अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण किंवा

(४) सांविधिक विदयापीठाची वाणिज्य मधील पदव्युतर पदवी, किंवा

(५) अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेच्या मान्यताप्राप्त संस्थेमधून वित्त व्यवसाय प्रशासन या विशेषज्ञतेसह पदवी (एम.बी.ए).

**७.४.३ उद्योग उपसंचालक (तांत्रिक), गट-अ पदासाठी खालीलप्रमाणे अर्हता आवश्यक :-**

(१) सांविधिक विद्यापीठाची, अभियांत्रिकी मधील (स्थापत्य अभियांत्रिकी तसेच स्थापत्य अभियांत्रिकी मधील विषयांच्या गटांशी संलग्न असलेल्या वास्तुविद्या, नगररचना इत्यादी विषयांव्यतिरिक्त) किंवा तंत्रज्ञानामधील पदवी, किंवा

(२) विज्ञान शाखेतील सांविधिक विद्यापीठाची पदवी

**७.४.४** सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, गट-ब या पदावकरीता भौतिकशास्त्र व गणित या विषयांसह विज्ञान अथवा अभियांत्रिकी शाखेतील पदवी आवश्यक आहे.

**७.४.५** पदवी परीक्षेच्या अंतिम वर्षास बसलेले उमेदवार प्रस्तुत पूर्व परीक्षेकरीता तात्पुरते पात्र असतील, परंतु पूर्व परीक्षेच्या निकालाआधारे मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरणा-या उमेदवारांनी मुख्य परीक्षेकरीता अर्ज स्वीकारण्यासाठी विहित केलेल्या अंतिम दिनांकापर्यंत पदवी परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहील.

**७.४.६** अंतर्वासिता किंवा कार्यशाळेतील कामाचा अनुभव आवश्यक असेल अशा पदवीधारकाने ही अट मुख्य परीक्षेचे अर्ज स्वीकारण्याकरीता विहित केलेल्या अंतिम दिनांकापर्यन्त पूर्ण केली असली पाहिजे.

**७.४.७** सर्व संवर्गांसाठी मराठीचे ज्ञान आवश्यक राहील.

**७.५ शारीरिक मोजमापे/अर्हता :-**

**७.५.१ वरील अर्हतेसोबत खालील संवर्ग/पदांकरीता त्यांच्या समोर दर्शविल्याप्रमाणे उमेदवारांची शारीरिक मोजमापे/अर्हता असणे आवश्यक आहे :-**

**(१) पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त, गट अ**

| पुरुष उमेदवारांकरिता | महिला उमेदवारांकरिता |
|---|---|
| (१) उंची-१६५ सें. मी. (अनवाणी) (कमीत कमी)<br>(२) छाती-न फुगविता ८४ से.मी.<br>(३) फुगविण्याची क्षमता-किमान ५ से.मी. आवश्यक | उंची - १५७ सें.मी.<br>(अनवाणी) (कमीत कमी) |

**(२) सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, गट-ब**

| पुरुष उमेदवारांकरिता | महिला उमेदवारांकरिता |
|---|---|
| (१) उंची - १६३ सें. मी. (अनवाणी) (कमीत कमी)<br>(२)छाती - न फुगविता ७९ से.मी. (कमीत कमी)<br>(३) फुगविण्याची क्षमता किमान ५से.मी. आवश्यक<br>चष्म्यासह अथवा चष्म्याशिवाय चांगली दृष्टी आणि रंगांधळेपणा नसावा. | उंची-१६३ सें.मी.<br>(अनवाणी) (कमीत कमी)<br>चष्म्यासह अथवा चष्म्याशिवाय चांगली दृष्टी आणि रंगांधळेपणा नसावा |

**(३) उपअधीक्षक राज्य उत्पादनशुल्क, गट-ब**

| पुरुष उमेदवारांकरिता | महिला उमेदवारांकरिता |
|---|---|
| (१) उंची-१६५ सें. मी. (अनवाणी)(कमीत कमी)<br>(२) छाती - न फुगविता ७९ से.मी.<br>(३) फुगविण्याची क्षमता- किमान ५ से.मी. आवश्यक | उंची-१५५ सें.मी.<br>(अनवाणी) (कमीत कमी) |

**७.५.२** उपरोक्त संवर्ग/पदांसाठी पसंतीक्रम दर्शविलेल्या उमेदवारांच्या बाबतीत विहित शारीरिक मोजमापे व शैक्षणिक अर्हता (लागू असेल त्याप्रमाणे) अर्जामध्ये आढळून न आल्यास त्यांच्या पसंतीक्रमाचा संबंधित पदासाठी विचार केला जाणार नाही.

**७.५.३** प्रस्तुत राज्य सेवा परीक्षेमधून भरण्यात येणा-या काही संवर्गाच्या बाबतीत शारीरिक मोजमापे/विशिष्ट शैक्षणिक अर्हता आवश्यक असून अशा अर्हतेबाबतच्या सविस्तर तरतुदी मुख्य परीक्षेच्या अधिसूचनेद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात येतील.

**७.५.४** विहित शैक्षणिक अर्हता (लागू असेल त्याप्रमाणे) अर्जामध्ये आढळून न आल्यास संबंधित संवर्गासाठी उमेदवारांचा पसंतीक्रम विचारात घेतला जाणार नाही.

**७.६ अर्हता/पात्रता गणण्याचा दिनांक :-**

मुख्य परीक्षेकरीता अर्ज स्वीकारण्यासाठी विहित अंतिम दिनांकापर्यंत किंवा त्यापूर्वी विहित शैक्षणिक अर्हता धारण केलेली असणे अनिवार्य आहे.

**७.७ परीक्षेच्या संधी :-**

**७.७.१** आयोगामार्फत आयोजित होणाऱ्या विभिन्न स्पर्धा परीक्षांमध्ये भाग घेणाऱ्या उमेदवारांस संधीची कमाल मर्यादा खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यात आली आहे:-

(१) अराखीव (खुला) उमेदवारांस कमाल सहा संधी उपलब्ध राहतील.

(२) अनुसुचित जमाती व अनुसुचित जाती प्रवर्गातील उमेदवारांस कमाल संधीची मर्यादा लागू राहणार नाही.

(३) उर्वरित मागासवर्ग प्रवर्गातील उमेदवारांस कमाल नऊ संधी उपलब्ध राहतील.

**७.७.२** उमेदवारांची संधीची संख्या खाली नमूद केल्यानुसार लागू राहतील:

(१) उमेदवाराने पूर्व परीक्षेत भाग घेतल्यास, ही संबंधित स्पर्धा परीक्षेची संधी समजली जाईल.

(२) एखादा उमेदवार पूर्व परीक्षेच्या कोणत्याही एका पेपरसाठी उपस्थित राहिल्यास, त्याची ती संधी समजली जाईल.

(३) उमेदवार कोणत्याही कारणास्तव परीक्षेच्या कोणत्याही टप्प्यावर अपात्र ठरल्यास किंवा त्याची उमेदवारी रद्द झाल्यास तरीही त्याची परीक्षेस उपस्थिती संधी गणली जाईल.

(४) प्रत्येक परीक्षेसाठी संधीची गणना स्वतंत्रपणे करण्यात येईल.

(५) संबंधित संवर्गाच्या सेवाप्रवेश नियमातील वयोमर्यादेच्या गणनेसह इतर अटी व शर्तीमध्ये कोणताही बदल नाही.

(६) शासनाकडून संबंधित सामाजिक प्रवर्गाकरीताची विहित केलेल्या उच्च वयोमर्यादेपर्यंतच उमेदवारास त्यांना देय असलेल्या संधीचा फायदा घेता येईल.

**७.७.३** प्रस्तुत परीक्षेपासून उपरोक्तप्रमाणे संधीची गणना करण्यात येईल.

**८. निवडप्रकिया :-**

**८.१** जाहिरातीमध्ये नमूद अर्हता/पात्रतेविषयक अटी किमान असून किमान अर्हता धारण केली म्हणून उमेदवार मुलाखत/शिफारशीसाठी पात्र असणार नाही.

**८.२** सेवा भरती बाबतची संपूर्ण प्रक्रिया संबंधित संवर्ग/पदाच्या सेवाप्रवेश नियम आणि या संदर्भात शासनाकडून वेळोवेळी करण्यात आलेल्या सुधारणा, आरक्षणासंदर्भातील शासनाचे प्रलंबित धोरण तसेच आयोगाच्या कार्यनियमावलीतील तरतुदीनुसार राबविण्यात येईल.

**९. परीक्षेचे टप्पे - दोन**

**९.१** प्रस्तुत परीक्षा खालील तीन टप्प्यामध्ये घेण्यात येईल :-

(१) पूर्व परीक्षा गुण - ४००

(२) मुख्य परीक्षा गुण - ८००

(३) मुलाखत गुण - १००

**९.२ मुख्य परीक्षेस प्रवेश :-**

**९.२.१ राज्य सेवा पूर्व परीक्षा - २०२१** च्या निकालाच्या आधारे मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरलेल्या आणि पूर्व परीक्षेच्या जाहिरातीमध्ये नमूद शैक्षणिक अर्हता व अन्य अटींची विहित दिनांकास किंवा त्यापूर्वी पुर्तता करणा-या उमदेवारास मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र समजण्यात येईल.

**९.२.२** मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र उमेदवाराने आयोगाकडून निश्चित करण्यात आलेल्या कालावधीत आयोगाच्या https://mpsconline.gov.in या संकेतस्थळाव्दारे फक्त ऑनलाईन पध्दतीने आवश्यक अर्ज/माहिती सादर करणे आवश्यक राहील.

**९.२.३** पूर्व परीक्षेच्या प्रवेशासाठी आयोगास अर्जाद्वारे सादर केलेल्या माहितीच्या आधारेच मुख्य परीक्षेकरीता आवश्यक अर्ज/माहिती विहित पध्दतीने सादर करता येईल.

**१०. पूर्व परीक्षेकरीता अर्ज करण्याची पध्दत :-**

**१०.१ अर्ज सादर करण्याचे टप्पे :-**

**(एक)** आवश्यक असल्यास खाते अद्ययावत करणे.

**(दोन)** विहित कालावधीत तसेच विहित पध्दतीने खालीलप्रमाणे लागू असेल त्याप्रमाणे आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करुन अर्ज सादर करणे .

**(तीन)** परीक्षा शुल्काचा भरणा विहित पध्दतीने करणे.

**(चार)** जिल्हा केंद्र निवड करणे.

**१०.२ विहित कागदपत्रे/प्रमाणपत्रे अपलोड करणे :-**

**(एक)** प्रोफाईलद्वारे केलेल्या विविध दाव्यांच्या अनुषंगाने पूर्व परीक्षेकरीता अर्ज सादर करताना खेळाडू, दिव्यांग व अनाथ आरक्षणाचा दावा करणाऱ्या उमेदवारांव्यतिरिक्त अन्य उमेदवारांना कोणतीही कागदपत्रे अपलोड करण्याची आवश्यकता नाही.

**(दोन)** खेळाडू, दिव्यांग व अनाथ आरक्षणाचा दावा करणाऱ्या उमेदवारांची पात्रता आजमावल्यानंतर (Check eligibility) उमेदवार जाहिरातीनुसार पात्र ठरत असल्यास अर्ज सादर करताना खालील कागदपत्रे/प्रमाणपत्रे (लागूअसलेली) अपलोड करणे अनिवार्य आहे :-

| अ. क्र. | प्रमाणपत्र/कागदपत्र | फाईल फॉर्मेट | किमान फाईल साईज (KB) | कमाल फाईल साईज (KB) |
|---|---|---|---|---|
| १ | पात्र दिव्यांग व्यक्ती असल्याचा पुरावा (लागू असेल त्याप्रमाणे) | PDF | ५० | ५०० |
| २ | खेळाडूसाठीच्या आरक्षणाकरीता पात्र असल्याचा पुरावा (लागू असेल त्याप्रमाणे) | PDF | ५० | ५०० |
| ३ | अनाथ आरक्षणासाठी पात्र असल्याचा पुरावा (लागू असेल त्याप्रमाणे) | PDF | ५० | ५०० |
| ४ | खेळाडू, दिव्यांग अथवा अनाथ आरक्षणाचा दावा असल्यास अधिवास प्रमाणपत्र | PDF | ५० | ५०० |

**(तीन)** उपरोक्त प्रमाणपत्र/कागदपत्रे आयोगाच्या संकेतस्थळावरील 'उमेदवारांना सर्वसाधारण सूचना' प्रकरण क्रमांक चार तसेच प्रस्तुत जाहिरातीमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे असणे अनिवार्य आहे.

**(चार)** खेळाडू, दिव्यांग व अनाथ आरक्षणाच्या दाव्यांच्या अनुषंगाने प्रमाणपत्रे/कागदपत्रे अपलोड केल्याशिवाय अर्ज सादर करता येणार नाही.

**१०.४ सर्वसाधारण :-**

**(एक)** अर्ज फक्त ऑनलाईन पद्धतीने स्वीकारण्यात येतील.

**(दोन)** अर्ज सादर करण्याकरीता संकेतस्थळ :- https://mpsconline.gov.in

**(तीन)** ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करण्याच्या सविस्तर सूचना आयोगाच्या https://mpsconline.gov.in तसेच https://mpsc.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत.

**(चार)** आयोगास अर्ज सादर केल्यानंतर विहित मुदतीत परीक्षा शुल्क भरल्याशिवाय अर्ज विचारात घेतला जाणार नाही.

**१०.५ अर्ज सादर करण्याचा कालावधी:- दिनांक ०५ ऑक्टोबर, २०२१ रोजी १४.०० वाजल्यापासून दिनांक २५ ऑक्टोबर, २०२१ रोजी २३.५९ वाजेपर्यंत.**

**१०.६ शुल्क (रुपये) :-**

**(एक)** अमागास - **रु. ५४४/-**

**(दोन)** मागासवर्गीय - **रु. ३४४/-**

**(तीन)** उपरोक्त परीक्षा शुल्काव्यतिरिक्त बँक चार्जेस तसेच त्यावरील देय कर अतिरिक्त असतील.

**(चार)** परीक्षा शुल्क ना-परतावा (Non-refundable) आहे.

**१०.७** परीक्षा शुल्काचा भरणा करण्याकरीता खाली नमूद केलेल्या पद्धतींचा अवलंब करावा:-

**(एक)** शुल्क भरण्याकरीता मुख पृष्ठावरील 'माझे खाते' या लिंक वर क्लिक करावे.

**(दोन)**'माझे खाते' या लिंक वर क्लिक केल्यानंतर अर्ज केलेल्या पदांची यादी शुल्क भरल्याच्या / न भरल्याच्या नोंदीसह दिसेल. 'Unpaid' लिहिलेल्या जाहिरात/पद / परीक्षेसमोर ' Pay Now' अशी लिंक उपलब्ध असेल.

(**तीन**)'Pay Now' या लिंक वर क्लिक केल्यानंतर दोन पर्याय उपलब्ध होतील:- (**१**) ऑनलाईन पेमेंट (**२**) चलनाद्वारे

(**चार**) क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, युपीआय अथवा नेटबँकिंगच्या सहाय्याने ऑनलाईन परीक्षा शुल्क अदा करता येईल.

(**पाच**) ऑनलाईन पध्दतीने परीक्षा शुल्काचा भरणा केल्यानंतर उमेदवाराला त्याच्या प्रोफाईलमध्ये परीक्षा शुल्काचा भरणा झाला आहे किंवा कसे याची स्थिती (status) लगेचच अवगत होईल. ऑनलाईन पध्दतीने परीक्षा शुल्क भरले असल्याबाबत Logout करण्यापूर्वीच खात्री करणे अथवा परीक्षा शुल्काचा भरणा झाल्याबाबतची स्थिती उपलब्ध नसल्यास पुन्हा शुल्क भरण्याची अथवा चलन घेण्याबाबतची कार्यवाही प्रस्तुत परीक्षेच्या अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकापूर्वीच करणे आवश्यक आहे.

(**सहा**) ऑनलाईन पध्दतीने परीक्षा शुल्काचा भरणा करताना बँकेकडून व्यवहार (Transaction) पूर्ण झाला असल्याबाबत खात्री करण्याची जबाबदारी उमेदवाराची आहे. कोणत्याही कारणास्तव व्यवहार अयशस्वी ठरल्यास यासंदर्भातील तक्रारीची आयोगाकडून दखल घेतली जाणार नाही.

(**सात**) चलनाद्वारे परीक्षा शुल्क भरण्याचा पर्याय निवडल्यास, उपलब्ध होणा-या चलनाची प्रत घेऊन भारतीय स्टेट बँकेच्या कोणत्याही शाखेत, बँकेच्या कार्यालयीन वेळेत शुल्काचा भरणा केला जाऊ शकतो.

(**आठ**) भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाद्वारे शुल्क भरण्याचा पर्याय निवडल्यास अर्ज सादर केल्याच्या दोन तासानंतर अथवा शेवटच्या दिवशी अर्ज सादर केल्यास त्यापुढील कामकाजाच्या दिवशी बँकेच्या कार्यालयीन वेळेत परीक्षा शुल्क भरणे आवश्यक आहे.

(**नऊ**) **ऑनलाईन परीक्षा शुल्क भरणे तसेच भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाद्वारे परीक्षा शुल्क भरावयाचे झाल्यास चलनाची प्रत घेणे याकरीता विहित अंतिम दिनांक २५, ऑक्टोबर, २०२१ रोजी २३.५९ वाजेपर्यंत.**

(**दहा**) **चलनाद्वारे परीक्षाशुल्क भरावयाचे झाल्यास भारतीय स्टेट बँकेमध्ये शुल्क भरण्याचा अंतिम दिनांक २६, ऑक्टोबर, २०२१ - बँकेच्या कार्यालयीन वेळेत.**

**१०.८ जिल्हा केंद्र निवड :-**

(**एक**) अर्ज सादर करतानाच जिल्हा केंद्राची निवड करणे आवश्यक आहे.

(**दोन**) जिल्हा केंद्र बदलाबाबतची विनंती कोणत्याही परिस्थितीत अथवा कोणत्याही कारणास्तव मान्य करण्यात येणार नाही

**११. दिव्यांग उमेदवार :- लेखनिक व अनुग्रह कालावधीबाबत**

**११.१** लक्षणीय दिव्यांगत्व असलेल्या उमेदवारांना परीक्षेच्यावेळी लेखनिक व इतर सोयी सवलती उपलब्ध करून देण्यासांदर्भात केंद्र शासनाकडून दिनांक २९ ऑगस्ट, २०१८ रोजीच्या कार्यालयीन ज्ञापनाद्वारे जारी करण्यात आलेल्या ' लक्षणीय दिव्यांगत्व असलेल्या व्यक्तींची परीक्षा आयोजित करण्याकरीता मार्गदर्शक सूचना २०१८ ' अनुसार तसेच तदनंतर शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार कार्यवाही करण्यात येईल.

**११.२** प्रत्यक्ष परीक्षेच्यावेळी उत्तरे लिहिण्यासाठी सक्षम नसलेल्या, पात्र दिव्यांग उमेदवारांना, लेखनिकाची मदत आणि/अथवा अनुग्रह कालावधीची आवश्यकता असल्यास संबंधित उमेदवाराने ऑनलाईन पध्दतीने आयोगास अर्ज सादर केल्याच्या दिनांकापासून सात (७) दिवसाच्या आत आवश्यक प्रमाणपत्र/कागदपत्रांसह विहित नमुन्यामध्ये आयोगाकडे लेखी विनंती करुन पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक आहे.

**११.३** लेखनिकाची व्यवस्था उमेदवारांकडून स्वत: केली जाणार आहे की आयोगाच्या कार्यालयामार्फत लेखनिकाची व्यवस्था करावी लागणार आहे, याचा स्पष्ट उल्लेख जाहिरातीस अनुसरुन ऑनलाईन पध्दतीने केलेल्या अर्जामध्ये असल्यासच विहित नमुन्याद्वारे प्राप्त लेखी विनंतीचा विचार केला जाईल.

**११.४** अर्जामध्ये मागणी केली नसल्यास तसेच आयोगाची विहित पध्दतीने पूर्व परवानगी घेतली नसल्यास ऐनवेळी लेखनिकाची मदत घेता येणार नाही अथवा अनुग्रह कालावधी अनुज्ञेय असणार नाही.

**११.५** परीक्षेकरीता लेखनिकाची मदत आणि/अथवा अनुग्रह कालावधीची परवानगी दिलेल्या पात्र उमेदवारांची यादी आयोगाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात येईल. तसेच लेखनिकाची मदत आणि/अथवा अनुग्रह कालावधीच्या परवानगीबाबत संबंधित उमेदवाराला आयोगाकडील नोंदणीकृत ई-मेलवर कळविण्यात येईल.

**११.६** प्रत्यक्ष परीक्षेच्यावेळी लेखनिक व अनुग्रह कालावधीचा लाभ घेण्यास इच्छुक असलेल्या दिव्यांग उमेदवारांनी आयोगामार्फत प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या जाहिरातीस अनुसरून अर्ज सादर करण्यापूर्वी आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या "दिव्यांग उमेदवारांकरीता मार्गदर्शक सूचना " चे अवलोकन करणे उमेदवारांचे हिताचे राहील.

**१२. सेवाप्रवेशोत्तर शर्ती :-**

**१२.१** नियुक्त झालेल्या व्यक्तीस खालील अर्हता/परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहील :-

(**एक**) जेथे प्रचलित नियमानुसार विभागीय/व्यावसायिक परीक्षा विहित केली असेल अथवा आवश्यक असेल तेथे त्यासंबंधी केलेल्या नियमानुसार विभागीय/व्यावसायिक परीक्षा

(**दोन**) हिंदी आणि मराठी भाषा परीक्षेसंबंधी केलेल्या नियमानुसार जर ती व्यक्ती अगोदर परीक्षा उत्तीर्ण झाली नसेल किंवा तिला उत्तीर्ण होण्यापासून सूट मिळाली नसेल तर ती परीक्षा

(**तीन**) शासन निर्णय, माहिती तंत्रज्ञान(सा.प्र.वि.), क्रमांक: मातंसं-२०१२/प्र.क्र.२७७/३९, दिनांक ०४ फेब्रुवारी, २०१३, शासन पूरकपत्र, क्रमांक मातंसं-२०१२/प्रक्र.२७७/३९, दिनांक ०८ जानेवारी, २०१८ व १६ जुलै, २०२१ अथवा महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाने यासंदर्भात वेळोवेळी विहित केलेली संगणक हाताळणीबाबतची प्रमाणपत्र परीक्षा

**१२.२** शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक टीआरएन-०५१४/प्र.क्र.७/१४/१८-ब, दिनांक २४ एप्रिल, २०१५ अन्वये निश्चित करण्यात आलेल्या कार्यपध्दतीनुसार परिविक्षाधीन नियुक्तीवर रुजू होणा-या उमेदवारांस ठराविक रकमेचे बंधपत्र (Bond) देणे आवश्यक राहील.

**१२.३** महाराष्ट्र नागरी सेवा (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणा-या राज्य नागरी सेवा परीक्षेद्वारे गट-"अ" आणि गट-"ब" (राजपत्रित), या पदाकरीता निवड होऊन सरळसेवेने नियुक्त होणा-या व एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमाअंतर्गत प्रशिक्षण घेणा-या उमेदवारांची सेवा ज्येष्ठता निश्चित करणे) नियम, २०१५ तसेच तद्नंतर शासनाकडून यासंदर्भात जारी करण्यात आलेल्या आदेशानुसार, निवड झालेल्या उमेदवारांची संबंधित संवर्गातील परस्पर सेवा ज्येष्ठता निश्चित करण्यात येईल.

**१२.४** कक्ष अधिकारी गट-ब हे पद वगळता इतर संवर्ग/पदांकरीता "महाराष्ट्र शासकीय गट-अ व गट-ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) पदांवर सरळसेवेने व पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी महसुली विभाग वाटप नियम, २०२१" तसेच तद्नंतर यासंदर्भात शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार विभाग वाटपाबाबतची कार्यवाही शासनाकडून करण्यात येईल.

**१३. प्रवेशप्रमाणपत्र :-**

**१३.१** परीक्षेस प्रवेश दिलेल्या उमेदवारांची प्रवेशप्रमाणपत्रे आयोगाच्या ऑनलाईन अर्जप्रणालीच्या संकेतस्थळावर (https://mpsconline.gov.in) उमेदवारांच्या प्रोफाईलद्वारे परीक्षेपूर्वी सर्वसाधारणपणे **७** दिवस अगोदर उपलब्ध करुन देण्यात येईल. त्याची प्रत परीक्षेपूर्वी डाऊनलोड करुन घेणे व परीक्षेच्या वेळी सादर करणे आवश्यक आहे.

**१३.२** परीक्षेच्या वेळी उमेदवाराने स्वत:चे प्रवेशप्रमाणपत्र आणणे सक्तीचे आहे. त्याशिवाय, परीक्षेस प्रवेश दिला जाणार नाही.

**१३.३** प्रवेश प्रमाणपत्र उपलब्ध करून देण्यात आल्यानंतर उमेदवाराला त्याच्या आयोगाकडील नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर लघुसंदेशाद्वारे कळविण्यात येईल. याबाबतची घोषणा आयोगाच्या संकेतस्थळावर परीक्षेपूर्वी एक सप्ताह अगोदर प्रसिद्ध करण्यात येईल.

**१३.४** परीक्षेच्या दिनांकापूर्वी ३ दिवस अगोदर प्रवेश प्रमाणपत्र प्राप्त न झाल्यास अर्ज सादर केल्याच्या आवश्यक पुराव्यासह आयोगाच्या कार्यालयाकडे संपर्क साधावा.

**१३.५** परीक्षेच्यावेळी स्वत:च्या ओळखीच्या पुराव्यासाठी स्वत:चे आधार कार्ड, निवडणूक आयोगाचे ओळखपत्र, पासपोर्ट, पॅन कार्ड किंवा फक्त स्मार्ट कार्ड प्रकारचे ड्रायव्हिंग लायसेन्स यापैकी किमान कोणतेही **एक मूळ ओळखपत्र** तसेच मूळ ओळखपत्राची छायांकित प्रत सोबत आणणे अनिवार्य आहे.

**१३.६** आधार कार्डच्या ऐवजी भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (UIDAI) च्या संकेतस्थळावरुन डाऊनलोड केलेले ई-आधार सादर करणा-या उमेदवारांच्या बाबतीत ई-आधार वर उमेदवाराचे नाव, पत्ता, लिंग, फोटो, जन्मदिनांक या तपशीलासह आधार निर्मितीचा दिनांक (Date of Aadhaar generation) व आधार डाऊनलोड केल्याचा दिनांक असल्यासच तसेच सुस्पष्ट फोटोसह **रंगीत प्रिंट** मध्ये आधार डाऊनलोड केले असल्यासच ई-आधार वैध मानण्यात येईल.

**१३.७** नावांमध्ये बदल केलेला असल्यास विवाह निबंधक यांनी दिलेला दाखला (विवाहित स्त्रियांच्या बाबतीत), नावांत बदल झाल्यासंबंधी अधिसूचित केलेले राजपत्र किंवा राजपत्रित अधिकारी यांच्याकडून नावांत बदल झाल्यासंबंधीचा दाखला व त्याची छायांकित प्रत परीक्षेच्यावेळी सादर करणे आवश्यक आहे.

**१४. परीक्षेस प्रवेश**

**१४.१ फक्त पेन, पेन्सिल, प्रवेशप्रमाणपत्र, ओळखीचा मूळ पुरावा व ओळखीच्या पुराव्याची सुस्पष्ट छायांकित प्रत अथवा प्रवेशप्रमाणपत्रावरील सूचनेनुसार आयोगाने परवानगी दिलेल्या साहित्यासह उमेदवाराला परीक्षा कक्षात प्रवेश देण्यात येईल.**

**१४.२** स्मार्ट वॉच, डिजीटल वॉच, मायक्रोफोन, मोबाईल फोन, कॅमेरा अंतर्भूत असलेली कोणत्याही प्रकारची साधने, सिमकार्ड, ब्लू टूथ, दूरसंचार साधने म्हणून वापरण्या योग्य कोणतीही वस्तू, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, वहया, नोटस, परवानगी नसलेली पुस्तके, बॅग्ज, परिगणक (calculator) इत्यादी प्रकारची साधने/ साहित्य परीक्षा केंद्राच्या परिसरात तसेच परीक्षा कक्षात आणण्यास, स्वत:जवळ बाळगण्यास, त्याचा वापर करण्यास अथवा त्याच्या वापरासाठी इतरांची मदत घेण्यास सक्त मनाई आहे. असे साहित्य आणल्यास ते परीक्षा केंद्राबाहेर ठेवण्याची व त्याच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी संबंधित उमेदवाराची राहील.

**१४.३** आयोगाने परवानगी नाकारलेले कोणत्याही प्रकारचे अनधिकृत साधन/साहित्य परीक्षेच्यावेळी संबंधित उपकेंद्राच्या मुख्य प्रवेशद्वारावरच ठेवावे लागेल. अशा साधन/साहित्याच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी संबंधित उमेदवाराची राहील. यासंदर्भातील कोणत्याही प्रकारच्या नुकसानीस आयोग, जिल्हा प्रशासन किंवा संबंधित शाळा/महाविद्यालय व्यवस्थापन जबाबदार राहणार नाही.

**१५.** प्रस्तुत जाहिरातीमध्ये परीक्षेसंदर्भातील संक्षिप्त तपशील दिलेला आहे. अर्ज स्वीकारण्याची पध्दत, आवश्यक अर्हता, आरक्षण, वयोमर्यादा, शुल्क, निवडीची सर्वसाधारण प्रक्रिया, परीक्षा योजना, अभ्यासक्रम इत्यादीबाबतच्या सविस्तर तपशिलासाठी आयोगाच्या https://mpsc.gov.in या संकेतस्थळावरील स्पर्धा परीक्षेअंतर्गत **'उमेदवारांना सर्वसाधारण सूचना'** तसेच **"परीक्षा योजना"** विभागातील **'राज्य सेवा परीक्षा'** मध्ये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या माहितीचे कृपया अवलोकन करावे. आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आलेली माहिती व अधिसूचना अधिकृत समजण्यात येईल.

**१६.** सदर जाहिरात आयोगाच्या https://mpsc.gov.in तसेच https://mpsconline.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

ठिकाण : मुंबई.
दिनांक : **०४ ऑक्टोबर, २०२१**

सह सचिव, परीक्षा पूर्व
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग.

(१) आयोगाच्या कार्यालयात, परीक्षा कक्षात, परीक्षा केंद्राच्या परिसरात, तसेच, शारीरिक चाचणी व मुलाखतीच्या वेळी मोबाईल फोन, अथवा इतर कोणत्याही प्रकारची इलेक्ट्रॉनिक साधने आणण्यास व वापरण्यास सक्त मनाई आहे. (२) प्रमाणपत्र तपासणीच्या वेळी पात्रतेसंदर्भातील सर्व मूळ प्रमाणपत्रे सादर न केल्यास शिफारस/नियुक्तीसाठी विचार करण्यात येणार नाही.